

अधिवक्ता को आगलप सप्त में रुक-रुककर
आवाजे लगाई जाते के बावजूद कोई
उपस्थित नहीं।

चूंकि पत्रावली दर्ज दिनांक से आदिनेस
तक तलबी की प्रारम्भिक स्टेज पर है तथा
कोई प्रभावी कार्रवाई एवं पैरवी नहीं हुई
है।

अतः पत्रावली में कोई प्रभावी पैरवी नहीं
होने तथा प्राथमिक अधिवक्ता के अनुपस्थित
रहने पर उक्त पत्रावली इसी स्टेज पर
अदम पैरवी में खारिज की जाती है एवं
साथ ही पूर्व में जारी अंतरिम अस्पाई
निषेधाज्ञा को समाप्त किया जाता है।

पत्रावली दायित्व दफ्तर हो।

2/1